निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1336) पटना, शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 अक्तूबर 2026

अधिसूचना संख्या– 03/2026–राज्य कर (दर)

एस० ओ० 227, दिनांक 30 अक्तूबर 2026—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम– 12, 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित मे आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या–10/2025– राज्य कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1514, दिनांक 17 सितंबर, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 87 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः–

''87क.	1211 90 13	इसबगोल के बीज (इसबगोल)'';

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[(सं०सं०– बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–22) 03)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 227, दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०– बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017 (खंड–22) 03)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th October 2026

Notification No 03/2026- State Tax (Rate)

S.O. 227, Dated 30th October 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Tax Department notification No. 10/2025- State Tax (Rate) dated 17th September, 2025, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide No. 1514 dated 17.09.2025, namely:—

In the said notification, in Schedule, after S. No. 87 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"87A.	1211 90 13	Psyllium seeds (Isobgul/Isobgol)".

2. This notification shall come into force with from 1st November, 2026.

[(FileNoBikrikar/GST/vividh-21/2017(Part-22)03)]
By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1336-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in